qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in Arts or Science or Commerce from a recognised University or equivalent; or three years diploma in Personnel Administration or Human Resource Development from a recognized institution; and (ii) three years' experience in administration, establishment and accounts works. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. **Note 2**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No. 39021/02/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

Foot Note.- The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 211, dated the 22nd November, 2010.

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

सा.का. नि. 121.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, बढ़ई समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, बढ़ई समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग, बढ़ई समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है।),नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. उक्त नियमों में, अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बढ़ई	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (रु.25500-81100)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की	**आवश्यक :** (I) मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या कोई अन्य समकक्ष संस्थान से बढ़ईगीरी

					जा सकती है।) **टिप्पणी :-** आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)।	व्यवसाय में प्रमाण पत्र; और (II) व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1-** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार या समकक्ष प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2-** अनुभव संबंधी अर्हताएँ केंद्रीय सरकार या समक्ष प्राधिकारी के विवेक अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन : उन व्यक्तियों में से जो केंद्रीय सरकार में कार्यरत हों : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष

की नियमित सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन)/उप सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग 2. अवर सचिव (भर्ती शाखा), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. अवर सचिव (परीक्षा शाखा), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा.सं. 39021/02/2018-स्था. (बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र सा. का. नि. 154 तारीख 17 मार्च, 2001 और उसके बाद संशोधन सा.का.नि. 31 तारीख, 4 फरवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित ।

New Delhi, the 9th May, 2019

G.S.R. 121.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission, Carpenter Group 'C' post Recruitment Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Carpenter Group 'C' post Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission, Carpenter Group 'C' post Recruitment Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said Rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in the pay matrix- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the said Rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Carpenter	01* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' non-Gazetted, non-Ministerial	Level 4 (Rs. 25500-81100)	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to the

					age of 40 years in the case of general candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Panghi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: (I) Certificate in carpentry trade from a recognised Industrial Training Institute or any other equivalent Institute; and (II) One year experience in the trade. **Note 1:** The qualification(s) are relaxable at the discretion of the Central Government/ Competent Authority in the case of candidates otherwise	Not applicable	Two years' for Direct Recruits	Deputation/absorption failing which by direct recruitment	Deputation/ Absorption: From amongst the persons working in the Central Government- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 3 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 2 in the

well qualified. **Note** 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government/ Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.				Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eleven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level 1 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. **Note 2**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group- 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation): **Consisting of:-** Joint Secretary (Administration)/ Deputy Secretary (Administration), Union Public Service Commission - Chairman Under Secretary (Recruitment Branch), Union Public Service Commission - Member Under Secretary (Examination Branch), Union Public Service Commission - Member	Not applicable

[F. No. 39021/02/2018-Estt. (B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

Foot Note:- The Principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 154, dated 17th March, 2001 and subsequently amended vide G.S.R. 31, dated 4th February, 2012.

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

सा.का.नि.122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण खण्ड समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-